

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय

कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260209, फैक्स : 07752-260154
E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Köni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 213 /बै.प्र./स्थायी समिति/2016

बिलासपुर दिनांक : 11/08/16

॥ अधिसूचना ॥

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में कुलपति महोदया द्वारा प्रो० बी.एन तिवारी, अधिष्ठाता - अध्ययनशाला जीवविज्ञान के स्थान पर डॉ. रेणु भट्ट, सह आचार्य, बायोटेक्नॉलॉजी, अधिष्ठाता अध्ययनशाला - जीव विज्ञान को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में सदस्य नामांकित किया गया है।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिष्ठाता अध्ययनशाला के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

R. Kumar

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर दिनांक : 11/08/16

पृ० क्रमांक 214 /बै.प्र./स्थायी समिति/2016

प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
03. डॉ. रेणु भट्ट, सह आचार्य, बायोटेक्नॉलॉजी, अधिष्ठाता अध्ययनशाला - जीव विज्ञान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

R. Kumar

कुलसचिव (कार्यवाहक)

R. Kumar